कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्रीमती लता रानी पत्नी श्री देवी सिंह पुत्री श्री ब्रज मोहन मौर्य, लाल दरवाजा, अड्डा बस्ती, बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

अपील सं0 37/2018

निर्णय

दिनांक 07. 08.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, दौसा से सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, दौसा का पत्रांक संस्था/आरटीआई/2018/293 दिनांक 25.07.18 द्वारा इस कार्यालय को जवाब भिजवाया जाकर प्रति अपीलांट को भी पृष्ठांकित की गई। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8 के तहत ''किसी व्यक्ति की वैयक्तिक सूचना जिसके प्रकटन से विस्तृत लोक हित का संबंध ना होने के कारण एवं सूचना का संबंध तृतीय पक्ष से होने व उक्त सूचना देने में तृतीय पक्ष से होने व उक्त सूचना देने में तृतीय पक्ष की असहमति होने के कारण सूचना देने से इंकार किया गया था। साथ ही अपने जवाब में कतिपय निर्णय का हवाला देते हुए आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना वैयक्तिक होने से नहीं दी जा सकती बाबत अंकित कर अपील खारिज करने की इस्तदुआ की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8 (झ) के तहत '' ऐसी सूचना, जिसका संबंध वैयक्तिक सूचना से है, जिसके प्रकटन का किसी क्रिया कलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता में अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि जनता के बडे हित में ऐसी सूचना का प्रकट न्यायोचित हैः **परन्तु ऐसी सूचना से जिससे संसद का राज्य विधान मण्डल को इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जायेगा।**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8 (झ) के तहत प्रकटन से छूट अवश्य दी गई है, किंतु अपीलांट द्वारा मांगी गई सूचना से किसी व्यक्ति की एकांतता में कोई अनपेक्षित हस्तक्षेप नहीं होता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अंकित उद्धरण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। इसलिए वॉछित सूचना देय है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी जिला कलेक्टर, घौलपुर द्वारा उपलब्ध सूचना की छाया प्रति भी अपनी अपील में संलग्न की है। इस प्रकार मेरी राय में अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवाये जाने में कोई आपत्ति/ रुकावट नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, दौसा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official